

**सिविल विमान परिवहन के संबंध में
चीन लोक गणराज्य सरकार तथा भारत गणतंत्र सरकार
के बीच करार**

चीन लोक गणराज्य सरकार तथा भारत गणतंत्र सरकार ॥ जिन्हे इससे आगे सीविकाकारी पक्ष कहा गया है ॥,

जो 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किए गए अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के हस्ताक्षर कर्ता है,

अपने दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध बनाने और सिविल विमानन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच परस्पर संबंध बढ़ाने की इच्छा से,

अपने-अपने भू-भागों के बीच निम्न प्रकार विमान परिवहन की स्थापना और परिचालन के लिए सहमत हुई है ,

**अनुच्छेद 1
परिभाषा**

जब तक कि प्रसंग से कोई अन्य अर्थ अभीष्ट न हो, प्रस्तुत करार के प्रयोजन के लिए,

॥क॥ "वैमानिकी प्राधिकारी" पद का आशय, चीन लोक गणराज्य के संबंध में चीन का सिविल विमानन प्रशासन तथा भारत गणतंत्र के संबंध में नागर विमानन महानिदेशालय, या दोनों के संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था से है जिन्हे उक्त प्राधिकारियों द्वारा इस समय किये जा रहे कार्यों के निष्पादन के लिए विधिवत् रूप से प्राधिकृत किया गया हो ,

॥ख॥ "विमान कम्पनी" पद का आशय अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवारं प्रदान करने वाले या परिचालित करने वाले किसी भी विमान परिवहन उद्यम से है ,

॥ग॥ "नामित विमान कम्पनी" पद का आशय ऐसी विमान कम्पनी से है जिसे प्रस्तुत करार के अनुच्छेद 3 के अनुसार नामित और प्राधिकृत किया गया हो ,

॥घ॥ "विमान सेवा" पद का आशय विमान द्वारा यात्रियों, सामान, माल या डाक के सार्वजनिक परिवहन के लिए की गई किसी भी अनुसूचित विमान सेवा से है ,

- ॥ड॥ "अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा" पद का आशय उस विमान सेवा से है जो एक से अधिक राज्यों के भू-भाग के ऊपर हवाई क्षेत्र से होकर गुजरती है ,
- ॥च॥ "यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिए रूकना" पद का आशय यात्रियों, सामान, माल या डाक को लेने या उतारने के अलावा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए अवतरण करने से है ,
- ॥छ॥ "क्षमता" पद का आशय :
- 1॥ विमान के संदर्भ में, किसी भी मार्ग या उस मार्ग के एक खण्ड पर उपलब्ध उस विमान के पेलोड से है ।
- 2॥ निर्दिष्ट विमान सेवा के संदर्भ में, किसी भी मार्ग या उस मार्ग के खण्ड पर, एक निश्चित अवधि में ऐसे विमान द्वारा परिचालित आवृत्ति से गुणित, उस सेवा पर प्रयुक्त विमान की क्षमता से है ।
- ॥ज॥ "टैरिफ" पर का आशय, यात्रियों, सामान और माल के वहन के लिए अदा किये गये मूल्य और ऐसी शर्तों जिनके अन्तर्गत वे मूल्य लागू होते हैं तथा एजेन्सी एवं अन्य अनुषंगी सेवाओं के मूल्य व शर्तों से है परन्तु इसमें डाक के वहन के लिए पारिश्रमिक या शर्तें सम्मिलित नहीं होंगी ,
- ॥झ॥ "मार्ग अनुसूची" पद का आशय प्रस्तुत करार के साथ सम्बद्ध मार्ग अनुसूची अथवा इस करार के अनुच्छेद 17 के उपबन्धों के अनुसार संशोधित अनुसूची से है । मार्ग अनुसूची इस करार का अभिन्न हिस्सा है और यदि अन्यथा अपेक्षित न हो, प्रस्तुत करार के लिए सभी संदर्भों में मार्ग अनुसूची के संदर्भ भी सम्मिलित होंगे ।

अनुच्छेद 2

अधिकारों की मंजूरी

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को, मार्ग अनुसूची में निर्दिष्ट मार्ग पर अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं ॥जिन्हें इसके बाद क्रमशः "सम्मत सेवाएं" और "निर्दिष्ट मार्ग" कहा गया है॥ स्थापित और परिचालित करने हेतु उसकी नामित विमान कम्पनी को समर्थ बनाने की दृष्टि से प्रस्तुत करार में विनिर्दिष्ट अधिकार मंजूर करता है ।

2. इस करार के उपबन्धों के अधीन, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर सम्मत सेवाओं का परिचालन करते हुए निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग किया जाएगा :

- ॥क॥ दूसरे सविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित हवाई मार्ग ॥मार्गों॥ पर बिना उतरे हुए दूसरे सविदाकारी पक्ष के भू-भाग से होकर उड़ना,
- ॥ख॥ उक्त भू-भाग में दोनों सविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सहमत हुए स्थान ॥स्थानों॥ पर, यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिए रुकना, और
- ॥ग॥ अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में यात्री, सामान, माल और डाक विमान में लेने और उतारने के प्रयोजन के लिए दूसरे सविदाकारी पक्ष के भू-भाग में निर्दिष्ट मार्ग के स्थान ॥स्थानों॥ पर रुकना ।

3. किसी तीसरे देश के भू-भाग में निर्दिष्ट मार्ग के किसी स्थान ॥स्थानों॥ पर, सविदाकारी पक्षों की नामित विमान कम्पनियों की सम्मत सेवाओं के लिए यात्रियों, सामान, माल और डाक को लेने और उतारने के लिए यातायात अधिकार की सहमति दोनों सविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच होगी ।

4. सविदाकारी पक्षों की नामित विमान कम्पनियों द्वारा सम्मत सेवाओं के परिचालन के अतिरिक्त, किसी भी सविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनियाँ अथवा अन्य विमान कम्पनी ॥कम्पनियाँ॥, दूसरे सविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों से, उस दूसरे सविदाकारी पक्ष के भू-भाग के लिए, वहाँ से और/या उससे हो कर चार्टर उड़ानों का परिचालन करने की अनुमति ले सकती है। वह सविदाकारी पक्ष जिससे ऐसा अनुरोध किया गया है, अपने चार्टर योग्यता नियमों के अनुसार तथा परस्पर लाभ और मित्रतापूर्ण सहयोग की भावना से और इस बात को ध्यान में रख कर कि दोनों सविदाकारी पक्षों की नामित विमान कम्पनियों को अन्तर्राष्ट्रीय चार्टर परिवहन के परिचालन में उचित और समान अवसर मिलेगा, उस अनुरोध पर तत्काल विचार करेगा । ऐसी चार्टर उड़ानों के लिए आवेदनपत्र, इसके प्रस्तावित परिचालन से कम से कम 15 दिन पूर्व दूसरे सविदाकारी पक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा और ऐसी उड़ानें अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही परिचालित की जाएगी ।

5. किसी भी सविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी को पारिश्रमिक ॥तट व्यापार॥ के लिए दूसरे सविदाकारी पक्ष के भू-भाग में एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच यातायात में यात्री, सामान, माल और डाक ले जाने का अधिकार नहीं होगा ।

अनुच्छेद 3

नामित और प्राधिकृत करना

1. प्रत्येक सविदाकारी पक्ष को, मार्ग अनुसूची में निर्दिष्ट मार्ग पर सम्मत सेवाओं के परिचालन के लिए, लिखित रूप में, दूसरे सविदाकारी पक्ष को एक विमान कम्पनी नामित करने का अधिकार होगा ।

2. प्रत्येक सविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कम्पनी का अधिकांश स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण ऐसे सविदाकारी पक्ष या उसके राष्ट्रों में निहित रहेगा ।

3. दूसरे सविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी, पहले सविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कम्पनी से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वह उन्हें इस बात के लिए संतुष्ट करे कि वह उक्त प्राधिकारियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के परिचालन पर सामान्यतः और उचित रूप से लागू कानूनों और विनियमों के अधीन निर्धारित शर्तों को पूरा करने योग्य है ।

4. ऐसा नामन प्राप्त होने पर, दूसरा सविदाकारी पक्ष, इस अनुच्छेद के पैरा 2 और 3 के उपबन्ध के अधीन इस प्रकार नामित विमान कम्पनी को उपयुक्त परिचालन प्राधिकार मंजूर करेगा ।

5. इस प्रकार एक विमान कम्पनी नामित और प्राधिकृत कर लिये जाने के बाद, वह उस तारीख से सम्मत सेवाओं का परिचालन शुरू कर सकती है जो दोनों सविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के अनुमोदन के अधीन, उनकी नामित विमान कम्पनियों के बीच परामर्श से निश्चित की जाएगी ।

अनुच्छेद 4

परिचालन प्राधिकार का प्रतिसंहरण या निलंबन

1. प्रत्येक सविदाकारी पक्ष को, निम्नलिखित में से किसी भी मामले में दूसरे सविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी को पहले से मंजूर किया गया परिचालन प्राधिकार प्रतिसंहरण करने या निलंबित करने, अथवा उक्त विमान कम्पनी द्वारा इस करार के अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट अधिकारों के प्रयोग पर ऐसी शर्त लगाने का अधिकार होगा जो वह आवश्यक समझे :

§क§ जहाँ वह इस बात से संतुष्ट न हो कि उस विमान कम्पनी का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण विमान कम्पनी को नामित करने वाले सविदाकारी पक्ष में निहित है, अथवा

§ख§ जहाँ वह विमान कम्पनी इन अधिकारों को मंजूर करने वाले सविदाकारी पक्ष के कानूनों तथा विनियमों का अनुपालन करने में असमर्थ रहती है, अथवा

§ग§ जहाँ वह विमान कम्पनी अन्यथा इस करार के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अनुसार परिचालन करने में असमर्थ रहती है ।

2. जब तक ऊपर निर्दिष्ट कानूनों और विनियमों के अतिरिक्त को रोकने के लिए तत्काल प्रतिसंहरण, निलंबन या इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित शर्तों का आरोपण अनिवार्य न हो, ऐसे अधिकार का प्रयोग दूसरे सविदाकारी पक्ष के साथ परामर्श करने के बाद ही किया जाएगा ।

अनुच्छेद 5

तकनीकी सेवाओं की व्यवस्था और प्रभार की दर

1. प्रत्येक सविदाकारी पक्ष अपने-अपने भू-भागों में, दूसरे सविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी द्वारा निर्दिष्ट मार्ग के परिचालन के लिए प्रयोग में लाये जाने के लिए नियमित हवाई अड्डा और वैकल्पिक हवाई अड्डे नामित करेगा और उस विमान कम्पनी को अपने भू-भाग में सम्मत सेवाओं के परिचालन के लिए ऐसी संचार, दिक्कालन, मौसम विज्ञान और अन्य अनुषंगी सेवाएँ उपलब्ध करायेगा जो आवश्यक समझी जाएँ । जहाँ आवश्यक हो, उपरोक्त के संबंध में दोनों सविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच विस्तृत व्यवस्थाओं पर सहमति की जाए ।

2. प्रत्येक सविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी द्वारा दूसरे सविदाकारी पक्ष के हवाई अड्डों, सुविधाओं और तकनीकी सेवाओं का प्रयोग करने के लिए, दूसरे सविदाकारी पक्ष के उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित उचित और उपयुक्त दरों पर, उससे प्रभार वसूल किया जाएगा । ऐसी दरें अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं में लगी दूसरे देशों की विमान कम्पनियों द्वारा अदा की जा रही उन दरों से अधिक नहीं होंगी जो वे ऐसी ही सुविधाओं और सेवाओं के प्रयोग के लिए दे रही हों ।

अनुच्छेद 6

सीमा शुल्क और शुल्क

1. एक सविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं पर परिचालित किए जा रहे विमान तथा विमान में रखे गये उनके नियमित उपस्कर, फलतू पुर्जे, ईंधन की सप्लाई, तेल §हाईड्रालिक फ्ल्यूइड सहित§, स्नेहक और विमान भण्डार §खाद्यान, पेय और तम्बाकू सहित§ दूसरे सविदाकारी पक्ष के भू-भाग में पहुँचने पर, सभी प्रकार के सीमा शुल्क, निरीक्षण शुल्क और अन्य शुल्कों या करों से मुक्त रहेंगे, बशर्ते ऐसे उपस्कर और भण्डार सीमा शुल्क पर्यवेक्षण के अन्तर्गत विमान में उस समय तक रखे जाएँ जब तक उन्हें पुनः निर्यात नहीं कर दिया जाता ।

2. प्रत्येक सविदाकारी पक्ष के भू-भाग में दूसरे सविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी द्वारा या उसकी ओर से या ऐसी नामित विमान कम्पनी द्वारा प्रचालित विमान में ले जाई गई ईंधन सप्लाई, तेल §हाईड्रालिक फ्ल्यूइड सहित§, स्नेहक, फलतू पुर्जे, नियमित उपस्कर एवं विमान भण्डार, जिनका उपयोग पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के परिचालन में किया जाएगा, सभी प्रकार के शुल्कों, प्रभारों तथा पहले सविदाकारी पक्ष के भू-भाग में लगाये गये सीमा शुल्क और निरीक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे, चाहे इस सामग्री का उपयोग उस सविदाकारी पक्ष के भू-भाग के ऊपर की जा रही आंशिक यात्रा में किया जा रहा हो जिसमें उसे विमान में लिया गया है । ऊपर उल्लिखित सामग्री सीमा शुल्क पर्यवेक्षण या नियंत्रण के अन्तर्गत रखी जाएगी ।

3. दोनों में से किसी भी सविदाकारी पक्ष की विमान पर रखे गये नियमित उड़ानगत उपस्कर, फलतू पुर्जे, विमान भण्डार और ईंधन की सप्लाई, तेल {हाईड्रोलिक फ्ल्यूड सहित}, और स्नेहक दूसरे सविदाकारी पक्ष के भू-भाग में उस सविदाकारी पक्ष के सीमा शुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से ही उतारा जा सकेगा। ऐसे मामले में, उनका पुनर्निर्यात किये जाने तक अथवा सीमा शुल्क विनियमनों के अनुसार उनका अन्यथा निपटान किये जाने तक उन्हें सीमा शुल्क प्राधिकारियों के नियंत्रण में रखा जाएगा।

4. इस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई छूट, उन स्थितियों में भी उपलब्ध होगी जहाँ एक सविदाकारी पक्ष की विमान कम्पनी में ऐसी अन्य विमान कम्पनी {कम्पनियों} के साथ समझौता कर लिया हो, जिन्हें नियमित उड़ानगत उपस्कर, फलतू पुर्जे, ईंधन की सप्लाई, तेल {हाईड्रोलिक फ्ल्यूड सहित}, और स्नेहकों को दूसरे सविदाकारी पक्ष के भू-भाग में उधार या स्तारण पर लेने के लिए उस दूसरे सविदाकारी पक्ष से ऐसी ही छूट मिली हुई हो।

अनुच्छेद 7

प्रतिनिधित्व तथा कार्यक

1. निर्दिष्ट मार्ग पर सम्मत सेवाओं के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक सविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी को, पारस्परिक आधार पर, दूसरे सविदाकारी पक्ष के भू-भाग के भीतर निर्दिष्ट मार्ग पर, मध्यवर्ती स्थानों पर प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित ऐसे प्रतिनिधि कार्यालय का स्टाफ उस देश के कानून और विनियमों के अधीन रहेगा जहाँ यह स्थित है।

2. प्रत्येक सविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी के प्रतिनिधि कार्यालय के कर्मचारी, दोनों में से किसी भी सविदाकारी पक्ष के राष्ट्रक होंगे, बशर्ते अन्यथा सहमत हो। ऐसे कर्मचारियों की संख्या दोनों सविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच आपसी सहमति के आधार पर निश्चित की जाएगी।

3. प्रत्येक सविदाकारी पक्ष, जहाँ तक व्यावहारिक हो सकेगा, दूसरे सविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी के प्रतिनिधि और उसके कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, और उसके भू-भाग के भीतर सम्मत सेवाओं के परिचालन के लिए उक्त विमान कम्पनी के विमान, भण्डार और अन्य संपत्ति की रक्षा करेगा।

4. प्रत्येक सविदाकारी पक्ष, दूसरे सविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी के प्रतिनिधि और कर्मचारियों को सम्मत सेवाओं के कुशल परिचालन के लिए आवश्यक सहायता और सुविधाएं प्रदान करेगा।

5. दोनों में से प्रत्येक सविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी के कर्मिदल के सदस्य, दूसरे सविदाकारी पक्ष के भू-भाग के भीतर और उससे बाहर की उड़ानों में, ऐसी विमान कम्पनी को नामित करने वाले सविदाकारी पक्ष के राष्ट्रक होंगे। यदि दोनों में से किसी भी सविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी दूसरे सविदाकारी पक्ष के भू-भाग के भीतर और बाहर की उड़ानों में किसी अन्य राष्ट्रीयता के कर्मिदल के सदस्य नियुक्त करना चाहे तो उसे दूसरे सविदाकारी पक्ष से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

अनुच्छेद 8

विमान कम्पनी द्वारा अर्जित राजस्व का हस्तांतरण

दोनों में से प्रत्येक सीविदाकारी पक्ष, दूसरे सीविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी को, उसके भू-भाग में, उक्त नामित विमान कम्पनी द्वारा यात्रियों, सामान, माल और डाक के वहन के संबंध में व्यय के बाद प्राप्त बचत राशि, विनियम की सरकारी दर पर, निःशुल्क हस्तांतरण का अधिकार प्रदान करता है। ऐसी निधियों का हस्तांतरण किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में किया जा सकेगा और यह उस सीविदाकारी पक्ष के विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार होगा जिसके भू-भाग में राजस्व अर्जित किया गया है। जब भी सीविदाकारी पक्षों के बीच भुगतान की प्रणाली विशेष करार के नियंत्रण के अंतर्गत हो तो वह करार लागू होगा।

अनुच्छेद 9

प्रवेश तथा निक्कासी विनियम

1. दोनों में से प्रत्येक सीविदाकारी पक्ष के कानून और विनियम, जिनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं में लगे विमानों के उसके भू-भाग में प्रवेश करने, ठहरने, प्रस्थान करने और उसके ऊपर उड़ान भरने से है, तथा उसके भू-भाग में यात्रियों, कर्मियों, सामान, माल और डाक के प्रवेश, ठहराव और प्रस्थान करने से संबंधित कानून और विनियमों से भी है, वे कानून और विनियम, दूसरे सीविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी के विमानों द्वारा, प्रथम सीविदाकारी पक्ष के भू-भाग में लाये-लेजाये गये कर्मियों, यात्रियों, सामान, माल और डाक पर भी लागू होंगे।

2. दोनों सीविदाकारी पक्षों के भू-भाग के आर-पार सीधे मार्गस्थ यात्रियों पर नियंत्रण बहुत ही साधारण होगा। सामान और माल, यदि मार्ग में हो तो सीमा शुल्क, निरीक्षण शुल्क और अन्य शुल्कों तथा प्रभारों से मुक्त रहेगा।

अनुच्छेद 10

समानता की व्यवस्था

1. समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांत को देखते हुए, प्रत्येक सीविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपयुक्त कार्रवाई करेगा कि निर्दिष्ट मार्गों पर, सम्मत सेवाओं के परिचालन में दोनों सीविदाकारी पक्षों की नामित विमान कम्पनियों को उचित रूप से समान अवसर और लाभ मिले।

2. निर्दिष्ट मार्गों पर, सम्मत सेवाओं के परिचालन के लिए, आवृत्ति से संबंधित मामलों, विमान की किस्म और उड़ान अनुसूची, ग्राउंड हैंडलिंग तथा सम्मत सेवाओं के परिचालन से संबंधित अन्य मामलों की सहमति, समानता और आपसी हित के सिद्धांत तथा पारस्परिक आधार पर दोनों सीविदाकारी पक्षों की नामित विमान कम्पनियों के बीच परामर्श से की जाएगी। ऐसी सहमति दोनों सीविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के

अनुमोदन के अधीन होगी। यदि दोनों सीवदाकारी पक्षों की नामित विमान कम्पनियों के बीच आवृत्ति, विमान की किस्म और उड़ान अनुसूची के बारे में सहमति नहीं होती तो दोनों सीवदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी मामले को बात-चीत के द्वारा सुलझाने का प्रयास करेंगे।

3. समस्त सेवाओं के परिचालन में प्रत्येक सीवदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी दूसरे सीवदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी के हितों को ध्यान में रखेगी ताकि उक्त विमान कम्पनी द्वारा उसी मार्ग पर या उसके किसी हिस्से में प्रचालित कराई जा रही सेवाओं पर प्रतिभूल प्रभाव न पड़े। यदि किसी सीवदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी द्वारा समस्त सेवाओं के परिचालन का अधिकार एक-पक्षीय रूप में किया जाता है तो नामित विमान कम्पनी को इस आशय से उचित व्यवस्था करनी होगी कि दूसरे सीवदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी के हितों का समुचित रूप से ध्यान रखा गया है।

4. सीवदाकारी पक्षों की नामित विमान कम्पनियों द्वारा प्रचालित की जाने वाली समस्त सेवाओं का प्रमुख उद्देश्य, दोनों सीवदाकारी पक्षों के भू-भाग के स्थानों के बीच यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित भार अनुपात के आधार पर क्षमता की व्यवस्था करना होगा। ऐसी सेवाओं पर तीसरे देशों को जाने वाले या वहाँ से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यातायात को चढ़ाने और उतारने का अधिकार अनुपूरक किस्म का होगा।

5. प्रत्येक सीवदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी यातायात आवश्यकताओं के अनुसार निर्दिष्ट मार्गों पर अतिरिक्त उड़ानें उड़ानों के लिए आवेदन कर सकती है। इस प्रकार की उड़ानें उड़ानों के लिए आवेदन पत्र दूसरे सीवदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को उक्त उड़ान के बारे में 72 घंटे पहले प्रस्तुत करना होगा और इस प्रकार की उड़ानें उड़ानें मंजूरी प्राप्त होने के बाद ही प्रचालित की जा सकती है।

अनुच्छेद 11 सूचना और आँकड़ों की व्यवस्था

1. प्रत्येक सीवदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी, दूसरे सीवदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को, जितना जल्दी व्यावहारिक हो सके, समस्त सेवाओं की उद्घाटन उड़ान से पहले, सेवा की किस्म, उपयोग किये जाने वाले विमान के प्रकार, उड़ान समय सारणी से संबंधित सूचना और वैमानिकी प्राधिकारियों की संतुष्टि के लिए अपेक्षित इस प्रकार की सूचना सहित, समस्त सेवाओं के परिचालन के लिए सभी अन्य संबद्ध सूचना लिखित रूप में प्रस्तुत करेंगी कि इस करार की आवश्यकताओं का विधिवत् पालन किया जा रहा है।

2. प्रत्येक सीवदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी, दूसरे सीवदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी को, उनके अनुरोध पर, निर्दिष्ट मार्गों पर पहले सीवदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी द्वारा प्रदान की गई क्षमता की समीक्षा के प्रयोजन के लिए सांख्यिकीय आँकड़े जैसा कि उचित रूप से अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार के आँकड़ों में ले जाए गए यातायात की मात्रा को निर्धारित करने संबंधी अपेक्षित सभी सूचनाएँ शामिल होंगी।

अनुच्छेद 12
टैरिफ का निर्धारण

1. किसी भी सम्मत सेवा पर टैरिफ उचित स्तरों पर निर्धारित किया जाएगा, जिसमें परिचालन की लागत, उचित लाभ, सेवा की मुख्य विशेषताएँ जैसे गति एवं स्थान का स्तर तथा विनिर्दिष्ट मार्ग के किसी भी हिस्से में अन्य विमान कम्पनियों के टैरिफ सहित सभी संगत पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। ये टैरिफ इस अनुच्छेद के निम्नलिखित उपबन्धों के अनुसार निश्चित किए जाएंगे।

2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 में निर्दिष्ट टैरिफ के बारे में, दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमान कम्पनियों के बीच जब भी आवश्यक और संभव हो, पूरे या उस मार्ग के किसी भाग में परिचालन कर रही अन्य विमान कम्पनियों के परामर्श से सहमत होगी। इस प्रकार सम्मत टैरिफ दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के अनुमोदन के अधीन होगा और इन टैरिफों के शुरू होने की प्रस्तावित तारीख से कम से कम 90 दिन पहले वे इसे अपने-अपने वैमानिकी प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे। यह अवधि कुछ मामलों में उक्त प्राधिकारियों के बीच सहमति से कम की जा सकती है।

3. यदि नामित विमान कम्पनियाँ इन टैरिफों में से किसी पर सहमत न हो सकें तो संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी परस्पर सहमति द्वारा टैरिफ निर्धारित करने का प्रयत्न करेंगे।

4. यदि वैमानिकी प्राधिकारी, इस अनुच्छेद के पैरा 2 के अंतर्गत उन्हें प्रस्तुत किये गये किसी टैरिफ के अनुमोदन अथवा पैरा 3 के अंतर्गत किसी टैरिफ के निर्धारण पर सहमत न हो सकें तो यह मामला इस करार के अनुच्छेद 16 के उपबन्धों के अनुसार निपटान के लिए संविदाकारी पक्षों को भेजा जाएगा।

5. इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार जब तक नये टैरिफ का निर्धारण नहीं कर लिया जाता तब तक पहले से लागू टैरिफ चलते रहेंगे। तथापि, इस पैरा के आधार पर टैरिफ को उस तारीख के बाद 12 महीनों से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता जिस तारीख को यह अन्यथा समाप्त हो जाता।

अनुच्छेद 13
दस्तावेज

1. निर्दिष्ट मार्ग पर उड़ाने कर रहे प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी के विमान पर उसकी राष्ट्रीयता और रजिस्ट्रेशन का चिह्न होगा और उसमें उड़ान पर निम्नलिखित प्रमाणपत्र तथा दस्तावेज होंगे :

- §क§ रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र,
- §ख§ उड़ान-योग्यता प्रमाणपत्र,
- §ग§ यात्रा दैनिकी पत्र,
- §घ§ विमान रेडियो स्टेशन लाइसेंस ,

- ॥ड॥ कर्मिदल के प्रत्येक सदस्य के लिए लाइसेंस या प्रमाण पत्र ,
- ॥च॥ कर्मिदल के सदस्यों की सूची,
- ॥छ॥ यात्रियों की सूची जिसमें प्रस्थान और गंतव्य स्थानों के नाम हों,
- ॥ज॥ कार्गो और डाक की सूची,
- ॥झ॥ सामान्य घोषणा ,

दूसरे सविदाकारी पक्ष द्वारा जारी या वैध किए गए उपर्युक्त प्रमाणपत्र और लाइसेंस प्रत्येक सविदाकारी पक्ष द्वारा वैध रूप में मान्य होंगे ।

2- प्रत्येक सविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी, तीसरे देश के लीज़ पर लिये गये विमान से निर्दिष्ट मार्ग ॥मार्गों॥ पर, सम्मत सेवाएं परिचालित कर सकती है, वशर्तें की प्रस्तावित प्रचालन के शुरू होने से 30 दिन पहले, दूसरे सविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को लीज़ पर लिए गए विमान के संबंध में पूर्व नोटिस और संगत सूचना प्रस्तुत कर दी गई हो । तथापि, ऐसी समस्याओं पर जो तीसरे देश की राष्ट्रीयता वाले विमान के संबंध में उठी हों, दूसरे सविदाकारी पक्ष के अनुरोध पर सविदाकारी पक्षों के बीच परामर्श किया जाएगा ।

अनुच्छेद 14

सोज और बचाव

यदि एक सविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी का विमान दूसरे सविदाकारी पक्ष के भू-भाग में संकट में हो या दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो दोनों सविदाकारी पक्षों द्वारा स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय विनियमों या सिफारिशों के अधीन दूसरा सविदाकारी पक्ष :

- ॥क॥ पहले सविदाकारी पक्ष को दुर्घटना के बारे में बिना विलंब सूचित करेगा ,
- ॥ख॥ तत्काल सोज और बचाव कार्य शुरू करेगा ,
- ॥ग॥ यात्रियों और कर्मिदल के सदस्यों को सहायता प्रदान करेगा ,
- ॥घ॥ विमान और इसके अवयवों के लिए सभी सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करेगा ,
- ॥ड॥ दुर्घटना की जांच करेगा ,
- ॥च॥ पहले सविदाकारी पक्ष के प्रतिनिधियों को विमान के पास पहुंचने की अनुमति देगा और पर्यवेक्षक के रूप में जांच में भाग लेगा ,
- ॥छ॥ जैसे ही जांच के लिए विमान और उसके अवयवों की जरूरत न हो उन्हें ले जाने की अनुमति देगा ,
- ॥ज॥ पहले सविदाकारी पक्ष को लिखित रूप में जांच से संबंधित निष्कर्ष और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

अनुच्छेद 15
विमानन सुरक्षा

1. प्रत्येक सविदाकारी पक्ष, दूसरे सविदाकारी पक्ष के सिविल विमानों, उनके कार्मिकों, यात्रियों, सामान, कार्गो और डाक के विरुद्ध गैर-कानूनी कार्यों को रोकने के लिए अपने राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अंतर्गत अपने भू भाग में सभी आवश्यक पूर्वोपाय करेगा ।

2. अनुरोध किये जाने पर सविदाकारी पक्ष, सिविल विमानों का अभिग्राहण करने और विमान, उसके यात्रियों और कार्मिकों, विमानों और विमान दिक्कालन सुविधाओं तथा नागर विमानन सुरक्षा को होने वाले किसी भी प्रकार के खतरे के विरुद्ध किसी भी प्रकार के गैर-कानूनी कार्यों को रोकने के लिए एक दूसरे को सभी संभव सहायता प्रदान करेंगे ।

3. जब कभी किसी सिविल विमान के गैर-कानूनी अभिग्राहण की घटना या इस प्रकार की धमकी की घटना होती है या किसी ऐसे विमान, उसके यात्रियों और कार्मिकों, हवाई अड्डों अथवा विमान दिक्कालन सुविधाओं के विरुद्ध कोई गैर-कानूनी कार्य किया जाता है तो सविदाकारी पक्ष एक दूसरे को संचार सुविधाएं प्रदान कर और इस प्रकार की घटनाओं अथवा उनके खतरे को तुरन्त समाप्त करने के लिए आवश्यक सभी उपयुक्त उपाय करके एक दूसरे की सहायता करेंगे ।

अनुच्छेद 16
परामर्श

1. सविदाकारी पक्ष, निकट सहयोग और पारस्परिक सहायता की भावना से, इस करार के उपबन्धों के सही कार्यान्वयन और संतोषप्रद अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे । इस उद्देश्य से, सविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी समय-समय पर एक दूसरे से परामर्श करेंगे ।

2. कोई भी सविदाकारी पक्ष दूसरे सविदाकारी पक्ष से परामर्श का अनुरोध कर सकता है, जो मौखिक या लिखित हो सकता है और जो ऐसे अनुरोध प्राप्त की तारीख से 60 दिन के भीतर शुरू होगा, बशर्ते कि दोनों सविदाकारी पक्ष संयुक्त रूप से इस अवधि को बढ़ाने पर सहमत न हो जाये ।

3. यदि इस करार के निर्वाचन अथवा कार्यान्वयन के संबंध में कोई मतभेद पैदा होता है तो दोनों सविदाकारी पक्षों की नामित विमान कम्पनियां, जहाँ कहीं उपयुक्त हो, मैत्रीपूर्ण सहयोग और पारस्परिक सुझबुझ से, सीधे परामर्श के द्वारा निपटाने का प्रयत्न करेंगी । यदि एयरलाइनें किसी निर्णय पर पहुँचने में असफल रहती है अथवा विवाद का विषय उनकी क्षमता के बाहर है तो सविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी परामर्श द्वारा इसे निपटाने का प्रयत्न करेंगे । यदि फिर भी कोई फैसला न हो सके तो सविदाकारी पक्ष इसे सीधे परामर्श द्वारा अथवा राजनीतिक माध्यम से निपटाने का प्रयत्न करेंगे ।

अनुच्छेद 17
संशोधन

यदि दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष इस करार के किसी उपबन्ध अथवा अनुसूची में संशोधन करना वांछनीय समझता है तो वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के साथ परामर्श का अनुरोध कर सकता है। यह परामर्श, जो वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच अथवा पत्राचार द्वारा किया जा सकता है, ऐसा अनुरोध प्राप्त की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर शुरू किया जाएगा। इस प्रकार तय किये गये कोई भी संशोधन तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि राजनीतिक माध्यम द्वारा दस्तावेजों के आदान-प्रदान से उनकी पुष्टि न हो जाए।

अनुच्छेद 18
समाप्त करना

दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय इस करार को समाप्त करने हेतु अपने निर्णय के बारे में दूसरे संविदाकारी पक्ष को नोटिस दे सकता है। यदि ऐसा नोटिस दे दिया जाता है तो दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा ऐसा नोटिस प्राप्त करने की तारीख से 12 मास के बाद यह करार समाप्त हो जाएगा, बशर्ते कि यह नोटिस उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व ही वापस न ले लिया जाए। यह नोटिस, उसकी तारीख से 14 दिन बाद या पहले संविदाकारी पक्ष के भू भाग में, दूसरे संविदाकारी पक्ष के राजनीतिक मिशन को ऐसा नोटिस दे दिये जाने की तारीख से प्राप्त किया गया मान लिया जाएगा।

अनुच्छेद 19
शीर्षक


इस करार में प्रत्येक अनुच्छेद के ऊपर संदर्भ और सुविधा के लिए शीर्षक दिये गये हैं और इनका प्रयोजन किसी भी प्रकार से इस करार के क्षेत्र या आशय की परिभाषा करना, इसे सीमित करना या इसका वर्णन करना नहीं है।

अनुच्छेद 20
प्रवर्तन में आना

यह करार उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिस तारीख को इस बात की पुष्टि करने वाले राजनीतिक दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया जाएगा कि संविदाकारी पक्षों ने अपनी-अपनी कानूनी प्रक्रियाएँ पूरी कर ली हैं।


इसके साथ में, निम्न हस्ताक्षरकर्ताओं ने, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत कर लिये जाने पर, इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

दिनांक 22 दिसम्बर, 1988 को बीजिंग में, चीनी, हिन्दी और अंग्रेजी में प्रत्येक दो-दो प्रतियों में हस्ताक्षर किए गए, जिनमें से प्रत्येक पाठ समान रूप से प्रामाणिक है ।



§ एस० के० मिश्र §
सचिव

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय
कृते भारत गणतंत्र सरकार



§ हु यिजू §
महा निदेशक

चीन का नागर विमानन प्रशासन
कृते चीन लोक गणराज्य सरकार

मार्ग अनुसूची

क. भारत सरकार द्वारा नामित विमान कम्पनी, निम्नलिखित मार्गों पर दोनों दिशाओं में, अनुसूचित विमान सेवाओं का परिचालन करने की हकदार होगी :

भारत स्थित स्थान

बीजिंग

ख. चीन लोक गणराज्य सरकार द्वारा नामित विमान कम्पनी, निम्नलिखित मार्गों पर दोनों दिशाओं में, अनुसूचित विमान सेवाओं का परिचालन करने की हकदार होगी :

चीन स्थित स्थान

दिल्ली

टिप्पणी : मध्यवर्ती स्थानों और परे के स्थानों तथा इन स्थानों के लिए/इन स्थानों से यातायात के अधिकारों का प्रयोग सविदाकारी पक्षों के दोनों वैमानिकी प्राधिकारियों की सहमति से किया जाएगा ।

印度共和国政府和中华人民共和国政府 民用航空运输协定

印度共和国政府和中华人民共和国政府（以下称为“缔约双方”）；

作为一九四四年十二月七日在芝加哥开放签字的国际民用航空公约的参加国；

为了便利两国人民之间的友好往来，发展两国民用航空方面的相互关系；

就建立和经营两国领土间的航空运输，达成协议如下：

第一条 定义

除非文中另有需要，本协定中：

（一）“航空当局”，中华人民共和国方面指中国民用航空局，印度共和国方面指民航总局，或双方均指受权执行上述当局目前所行使的职能的任何个人或机构。

（二）“空运企业”，指提供或经营国际航班的任何航空运输企业。

（三）“指定空运企业”，指根据本协定第三条经指定和获准的空运企业。

（四）“航班”，指以飞机从事旅客、行李、货物或邮件的公共运输的任何定期航班。

（五）“国际航班”，指飞越一个以上国家领土上空的航班。

(六) “非运输业务性经停”，指任何目的不在于上下旅客、行李、货物或邮件的降停。

(七) “运力”

1、就飞机而言，指该飞机在航线或航段上可提供的商务载量。

2、就规定航班而言，指飞行这一航班的飞机的运力乘以该飞机在一定的时期内在航线或航段上所飞行的班次。

(八) “运价”，指为运输旅客、行李和货物所支付的价格以及采用这些价格的条件，包括提供代理和其他附属服务的价格和条件，但不包括运输邮件的报酬或条件。

(九) “航线表”，指本协定所附的航线表或根据本协定第十七条的规定所修改过的航线表。该表构成本协定的组成部分。除另有规定外，对本协定的一切援引应包括对该航线表的援引。

第二条 授 权

一、缔约一方给予缔约另一方以本协定规定的权利，以使其指定空运企业在航线表规定的航线上建立和经营国际航班（以下分别称为“规定航线”和“协议航班”）。

二、在不违反本协定规定的情况下，缔约一方指定空运企业在规定航线上经营协议航班时，应享有下列权利：

(一) 沿缔约另一方航空当局规定的航路不降停飞越缔约另一方领土；

(二) 在上述领土内缔约双方航空当局协议的地点作非运输业务性经停；

(三) 在缔约另一方领土内规定航线上的地点经停，以便上下国际旅客、行李、货物和邮件。

三、缔约双方指定空运企业协议航班在第三国领土内规定航线的地点经营上下国际旅客、行李、货物和邮件的业务权利，须经缔约双方航空当局协议。

四、除缔约双方指定空运企业经营协议航班外，缔约一方指定空运企业可向缔约另一方航空当局要求准其经营前往、来自和/或经过该缔约另一方领土的包机飞行。受理要求的航空当局应根据其包机规则，本着互利、友好合作以及缔约双方空运企业经营国际包机运输方面应享有公平合理的均等机会的精神，及时考虑这一要求，并在获得批准后方可飞行。包机飞行的申请至迟应在拟议飞行的十五天前提出。

五、缔约一方指定空运企业无权为取酬目的在缔约另一方境内地点之间载运旅客、行李、货物和邮件（国内业务权）。

第三条 指定和许可

一、缔约一方有权书面向缔约另一方指定一家空运企业，在航线表规定的航线上经营协议航班。

二、缔约一方指定空运企业的主要所有权和有效管理权应属于该缔约方或其国民。

三、缔约另一方航空当局可要求被缔约一方指定的空运企业向其证明，该空运企业有资格履行根据法律和规章所制定的条件，这些法律和规章是上述当局在经营国际航班方面所通常合理地予以实施的。

四、在不违反本条第二款和第三款规定的情况下，缔约另一方在收到上述指定后，应给予该指定空运企业以合适的经营许可。

五、空运企业一经指定和获准，可按缔约双方指定空运企业协商、并经双方航空当局批准的日期开始经营协议航班。

第四条 经营许可的撤销或暂停

一、在下列任一情况下，缔约一方有权撤销或暂停业已给予缔约另一方指定空运企业的经营许可，或对该指定空运企业行使本协定第二条规定的权利，规定它认为必要的条件：

(一) 如它对该空运企业的主要所有权和有效管理权是否属于指定该空运企业的缔约方有疑义；或

(二) 如该空运企业不遵守给予其权利的缔约方的法律和规章；或

(三) 如该空运企业在其他方面没有按照本协定规定的条件经营。

二、除非本条第一款所述的撤销、暂停或规定条件必须立即执行，以防止进一步违反法律和规章，否则这种权利只能在与缔约另一方协商后方可行使。

第五条 提供技术服务和费率

一、缔约一方应在其领土内指定供缔约另一方指定空运企业经营规定航线所使用的主用机场和备降机场，

并向该空运企业提供飞行协议航班所需的通信、导航、气象和其他附属服务。如有必要，可由缔约双方航空当局协商确定关于上述的具体办法。

二、缔约一方指定空运企业使用缔约另一方的机场设备和技术服务按缔约另一方有关当局所规定的公平的合理的费率付费。这些费率不应高于从事国际航班飞行的其他国家空运企业使用类似设施和服务所付的费率。

第六条 关税和税收

一、缔约一方指定空运企业飞行国际航班的飞机，以及留置在机上的正常设备、零备件、燃料、油料（包括液压油）、润滑油和机上供应品（包括食品、饮料和烟草），在进入缔约另一方领土时，应豁免一切关税、检验费和其他税捐，但这些设备和物品须留置在飞机上直至再次运出。

二、缔约一方指定空运企业运入或代表该企业运入缔约另一方领土的只供飞行国际航班使用的燃料、油料（包括液压油）、润滑油、零备件、正常设备和机上供应品，或装上该企业的飞机的上述物资，即使在装机的缔约方领土内的航段上使用，应豁免所有税收和费用，包括缔约另一方领土内所征收的关税和检验费。上述物资应交海关监管。

三、留置在缔约任何一方飞机上的机上正常设备、零备件、机上供应品、燃料、油料（包括液压油）和润滑油，只能在缔约另一方海关当局同意后，方可在缔约

另一方领土内卸下。该当局可要求这些物品置于他们监管之下，直至再次运出，或按海关规定另作处理。

四、 缔约一方指定空运企业如与同样享有缔约另一方豁免的另一家（或多家）空运企业作出安排，在缔约另一方领土内租借或转让机上正常设备、零备件、燃料、油料（包括液压油）和润滑油，则也应给予本条所规定的豁免。

第七条 代表机构和人员

一、 为了经营规定航线上的协议航班，缔约一方指定空运企业有权在对等的基础上在缔约另一方领土内规定航线上的通航地点设立代表机构。本款所述的代表机构的人员应受驻在国的现行法律和规章的管辖。

二、 除非另有协议，缔约一方指定空运企业代表机构的工作人员，应为缔约任何一方的国民，其人数由缔约双方航空当局在对等的基础上商定。

三、 缔约一方应尽最大可能保障缔约另一方指定空运企业代表机构及其工作人员的安全，并保护上述空运企业在其领土内经营协议航班所用的飞机、物品和其他财产。

四、 缔约一方应向缔约另一方指定空运企业的代表机构及其工作人员提供有效地经营协议航班所需要的协助和方便。

五、 缔约任何一方指定空运企业进入和离开缔约另一方领土的航班上的机组成员，应为指定该空运企业的

缔约一方的国民。缔约任何一方指定空运企业如欲在进入和离开缔约另一方领土的航班上雇用任何其他国籍的机组成员，应事先取得缔约另一方的同意。

第八条 空运企业收入的结汇

缔约任何一方允许缔约另一方指定空运企业按正式比价，自由结汇该指定空运企业因运输旅客、行李、货物和邮件在缔约一方领土内所得的收支余额。结汇应以任何可兑换货币、按照在其境内获得这种收入的缔约方的外汇管理规则办理。如缔约双方间的支付按一项专门协定办理，则该协定应适用。

第九条 入境和放行规章

一、缔约一方关于从事国际航班飞行的飞机进出其领土及在其领土内停留和航行的法律和规章，以及关于旅客、机组、行李、货物和邮件进出其领土和在其领土内停留的法律和规章，均适用于缔约另一方指定空运企业在缔约一方领土内的飞机、机组和该机所载运的旅客、行李、货物和邮件。

二、对直接过境缔约任何一方领土的旅客，至多采取非常简化的控制措施。直接过境的行李和货物应豁免关税、检验费和其他税收和费用。

第十条 运力规定

一、缔约各方应根据平等互利的原则，采取一切适当的措施，确保缔约双方指定空运企业在规定航线上经营协议航班时，享有合理的均等机会和利益。

二、在规定的航线上经营协议航班方面，关于班次、机型以及飞行时刻表、地面服务和经营协议航班的其他事项，应由缔约双方指定空运企业根据平等互利的原则，在对等的基础上协商确定。如此协议的安排须经缔约双方航空当局批准。如果缔约双方指定空运企业不能就班次、机型和飞行时刻表达成协议，缔约双方航空当局应通过协商解决。

三、在经营协议航班方面，缔约一方指定空运企业应考虑到缔约另一方指定空运企业的利益，以免不适当地影响后者在整条航线或其航段上经营的航班。如缔约一方指定空运企业单方面行使经营协议航班的权利，该指定空运企业应作出适当的安排以使缔约另一方指定空运企业的利益得到合理的照顾。

四、缔约双方指定空运企业经营协议航班，其主要目的应以合理的载运比率提供足够的运力，以满足缔约双方境内地点间运输的需要。此种航班装卸前往或来自第三国地点的国际业务的权利应是辅助性质的。

五、缔约一方指定空运企业可根据业务需求情况申请在规定的航线上作加班飞行。加班飞行的申请至迟应在飞机起飞七十二小时前向缔约另一方航空当局提出，获得许可后方可飞行。

第十一条 资料 and 统计数据的提供

一、缔约一方指定空运企业应在开始经营协议航班之前尽早地向缔约另一方航空当局提供有关航班类别、使用的机型、飞行时刻表以及所有其他有关经营协议航班的书面资料，包括使该航空当局确信本协定的规定认真地得以执行而需要的资料。

二、缔约一方航空当局应按缔约另一方航空当局的要求，向其提供审议缔约一方指定空运企业在规定航线上提供的运力而可能合理地需要的统计资料。这些资料应包括为确定已载运的业务量所需的全部情况。

第十二条 运价的制定

一、任何协议航班的运价，应在合理的水平上制定，适当照顾到一切有关因素，包括经营成本、合理利润、航班特点（如速度和舒适水平），以及其他空运企业在规定航线任何航段上所收取的运价。这些运价应根据本条下列规定制定。

二、本条第一款所述运价，应由缔约双方指定空运企业商定，如有必要和可能，应与在该航线或其航段上经营的其他空运企业进行磋商。商定的运价应经缔约双方航空当局批准，并至少应在其拟议采用之日九十天前提交各自航空当局。在特殊情况下，经上述当局同意，这一时限可予缩短。

三、如指定空运企业不能就这些运价中的任何一项达成协议，缔约双方航空当局应设法达成协议，确定运价。

四、如双方航空当局未能就批准根据本条第二款向其提交的任何运价达成协议，或未能根据第三款就运价的确定达成协议，此问题应根据本协定第十六条规定提交缔约双方解决。

五、在根据本条规定决定新运价前，已生效的运价应继续有效。但是，运价不应由于本款规定在其应失效之日十二个月后仍然有效。

第十三条 文 件

一、缔约一方指定空运企业在规定航线上飞行的飞机应具有该缔约方的国籍标志和登记标志，并携带下列证件和文件：

- (一) 登记证；
- (二) 适航证；
- (三) 航行记录表；
- (四) 机上无线电台执照；
- (五) 空勤组成员的执照或证件；
- (六) 空勤组名单；
- (七) 注明起讫地点的旅客名单；
- (八) 货物、邮件舱单；
- (九) 总申报单。

缔约一方发给或核准的上述有效证件和执照，缔约另一方应予承认。

二、缔约一方指定空运企业可使用租自第三国的飞机飞行规定航线上的协议航班，但应在拟议飞行的三十天之前向缔约另一方航空当局发出通知并提供租用飞机

的有关情况。然而，如缔约一方提出要求，缔约双方应就对第三国籍飞机有关而可能发生的问题进行协商。

第十四条 搜寻与援救

缔约一方指定空运企业的飞机如在缔约另一方领土内遇险或失事时，缔约另一方应根据缔约双方均接受的国际规章或建议措施：

- 一、立即将失事情况通知缔约一方；
- 二、立即进行搜寻与援救；
- 三、对旅客和空勤组提供援助；
- 四、对飞机和机上装载物采取一切安全措施；
- 五、调查事故情况；
- 六、允许缔约一方的代表接近飞机，并作为观察员参加对事故的调查；
- 七、如调查中不再需要飞机和其装载物，应予放行；
- 八、将其调查结论和最后报告书面通知缔约一方。

第十五条 航空保安

一、缔约一方应在其领土内根据其国家法律和规章采取一切必要的防范措施以防止针对缔约另一方的民用航空器、空勤组人员、旅客、行李、货物和邮件的非法行为。

二、缔约双方应按请求相互提供所有必要的协助，以防止非法劫持航空器的行为和其他危及航空器及其所载的旅客、空勤组以及机场和导航设施安全的非法行为和对民航安全的任何其他威胁。

三、当发生非法劫持航空器的事件或事件的威胁、或其他危及航空器及其所载的旅客、空勤组以及机场或导航设施安全的非法行为时，缔约双方应相互协助，采取便利联系和其他适当的措施，以迅速、安全地结束这种事件或威胁。

第十六条 协 商

一、缔约双方应本着密切合作和相互支持的精神，保证本协定的各项规定的正确实施和满意的遵守。为此，缔约双方航空当局应经常相互协商。

二、缔约任何一方可要求与缔约另一方进行协商，这一协商可以口头或书面进行，并应在收到要求之日起六十天内进行，除非缔约双方同意延长这一期限。

三、如对本协定的解释或实施发生分歧，缔约双方指定空运企业应在适当的情况下本着友好合作和相互谅解的精神，设法直接通过协商予以解决。如上述空运企业未能求得解决，或所争执的问题不在他们的主管范围内，缔约双方航空当局应设法协商解决。如仍不能求得解决，缔约双方应设法通过直接磋商或通过外交途径予以解决。

第十七条 修 改

如缔约任何一方认为修改本协定包括航线表的任何条款是可取的，可要求与缔约另一方进行协商。此项协商可在航空当局之间或通过信函进行，应在收到要求之日起六十天内开始。达成协议的修改在通过外交途径换文确认后方能生效。

第十八条 终 止

缔约一方可随时将其终止本协定的决定通知缔约另一方。通知发出后，本协定在缔约另一方收到通知之日起十二个月后终止，除非在期满前撤回该通知。在通知之日起十四天后，或将通知递交缔约另一方在缔约一方领土内的外交机构之日，该项通知应认为已被收到。

第十九条 标 题

本协定每条均冠以标题，只是为了查阅方便，而决非对本协定的范围或意图予以解释、限制或说明。


第二十条 生 效

本协定自缔约双方已完成了各自法律程序并以外交换文相互通知之日起生效。


下列签字人，经其各自政府正式授权，已在本协定上签字，以昭信守。

本协定于一九八八年十二月二十二日在北京签订，共两份，每份都用中文、印地文和英文写成，三种文本具有同等效力。

印度共和国政府
代 表



中华人民共和国政府
代 表



航 线 表

一、印度政府指定空运企业有权在下列航线上经营往返定期航班：

印度境内地点 —— 北京

二、中华人民共和国政府指定空运企业有权在下列航线上经营往返定期航班：

中国境内地点 —— 德里

注：中间经停点和以远点以及行使来自和前往这些地点的业务权，须由缔约双方航空当局商定。

AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
RELATING TO CIVIL AIR TRANSPORT

The Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of China (hereinafter referred to as "the Contracting Parties");

Being Parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the 7th day of December, 1944;

Desiring to facilitate friendly contacts between their two peoples, and develop mutual relations between the two countries in the field of civil aviation;

Have agreed on the establishment and operation of air transportation between their respective territories as follows:

ARTICLE - 1

Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

(a) the term "aeronautical authorities" means in the case of the People's Republic of China, the Civil Aviation Administration of China, and in the case of the Republic of India, the Directorate General of Civil Aviation, or in both cases any other person or body duly authorised to perform the functions presently exercised by the said authorities;

(b) the term "airline" means any air transport enterprise offering or operating international air services;

(c) the term "designated airline" means an airline which has been designated and authorized in accordance with Article 3 of this Agreement;

(d) the term "air service" means any scheduled air service performed by aircraft for the public transport of passengers, baggage, cargo or mail;

(e) the term "international air service" means an air service which passes through the air space over the territory of more than one state;

(f) the term "stop for non-traffic purposes" means a landing for any purpose other than taking on or discharging passengers, baggage, cargo or mail;

(g) the term "capacity" means:

(1) in relation to an aircraft, the payload of that aircraft available on a route or section of a route.

(2) in relation to a specified air service, the capacity of the aircraft used on such service multiplied by frequency operated by such aircraft over a given period on a route or section of a route.

(h) the term "tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage and freight and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services, but excluding remuneration or conditions for the carriage of mail;

(i) the term "Route Schedule" means the Route Schedule annexed to this Agreement or as amended in accordance with the provisions of Article 17 of the Agreement. The Route Schedule forms an integral part of this Agreement and all references to the Agreement shall include references to the Route Schedule except where otherwise provided.

ARTICLE - 2

Grant of Rights

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agreement to enable its designated airline to establish and operate international air services on the route specified in the Route schedule (hereinafter called "the agreed services" and "the specified route" respectively).

2. Subject to the provisions of this Agreement, the designated airline of each Contracting Party shall enjoy, while operating an agreed service on a specified route, the following rights:

(a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party along the air route(s) prescribed by the aeronautical authorities of the other Contracting Party.

(b) to make stops for non-traffic purposes in the said territory at point(s) to be agreed upon between the aeronautical authorities of both Contracting Parties, and,

(c) to make stops at the point(s) on the specified route in the territory of the other Contracting Party for the purpose of taking on board and discharging international traffic in passengers, baggage, cargo and mail.

3. The traffic right to take up and discharge passengers, baggage, cargo and mail for the agreed services of the designated airlines of the Contracting Parties at the point(s) on the specified route in the territory of a third country shall be agreed upon between the aeronautical authorities of the two Contracting Parties.

4. In addition to the operation of the agreed services by the designated airlines of the Contracting Parties, the designated airlines or other airline(s) of either Contracting Party may request permission from the aeronautical authorities of the other Contracting Party to operate charter flights to, from and/or through the territory of that other Contracting Party. The aeronautical authorities to which such a request is submitted shall promptly consider the request in accordance with its charterworthiness rules, and in the light of the spirit of mutual benefit and friendly cooperation and that airlines of both Contracting Parties should have fair and reasonably equal opportunity in operating international charter transportation. The application of such charter flights shall be submitted to the aeronautical authorities of the other Contracting Party at least 15 days prior to its proposed operation, and the flights can be operated only after approval has been obtained.

5. The designated airline of a Contracting Party shall not have the right to carry traffic in passengers, baggage, cargo and mail between points in the territory of the other Contracting Party for remuneration (cabotage).

ARTICLE - 3

Designation and Authorization

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline to operate the agreed services on the route specified in the Route Schedule.

2. The substantial ownership and effective control of the airline designated by each Contracting Party shall remain vested in such Contracting Party or its nationals.

3. The aeronautical authorities of the other Contracting Party may require the airline designated by the first Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by the said authorities.

4. On receipt of such designation, the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraph 2 and 3 of this Article, grant to the airline so designated the appropriate operating authorization.

5. After an airline has been so designated and authorized, it may commence operation of the agreed service from a date to be agreed upon through consultations between the designated airlines of both Contracting Parties subject to the approval of their aeronautical authorities.

ARTICLE - 4

Revocation or Suspension of Operating Authorization

1. Each Contracting Party shall have the right to revoke or suspend the operating authorization already granted to the designated airline of the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the said designated airline of the rights specified in Article 2 of this Agreement, in any of the following cases:

(a) where it is not satisfied that the substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline, or

(b) where that airline fails to comply with the laws and regulations of the Contracting Party granting these rights, or

(c) where that airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1 of this Article is essential to prevent further infringements of laws and regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

ARTICLE - 5

Provision of Technical Services and Rate of Charges

1. Each Contracting Party shall designate in its territory regular airport and alternate airports to be used by the designated airline of the other Contracting Party for the operation of the specified route, and shall provide that airline with such communications, navigational, meteorological and other auxiliary services in its territory as are required for the operation of the agreed services. Where necessary, detailed arrangements relating to the above may be agreed between the aeronautical authorities of both Contracting Parties.

2. The designated airline of each Contracting Party shall be charged for the use of airports, facilities and technical services of the other Contracting Party at fair and reasonable rates prescribed by the appropriate authorities of the other Contracting Party. Such rates shall not be higher than those paid by airlines of other States engaged in international air services for the use of similar facilities and services.

ARTICLE - 6

Customs and Duties

1. Aircraft operated on international air services by the designated airline of one Contracting Party, as well as their regular equipment, spare parts, supplies of fuels, oils (including hydraulic fluids), lubricants, and aircraft stores (including food, beverages and tobacco) on board such aircraft shall

be exempt from all customs duties, inspection fees and other duties or taxes on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided such equipment and supplies remain on board the aircraft and under customs supervision up to such time as they are re-exported.

2. Supplies of fuels, oils (including hydraulic fluids), lubricants, spare parts, regular equipment and aircraft stores introduced into the territory of each Contracting Party by or on behalf of the designated airline of the other Contracting Party or taken on board the aircraft operated by such designated airline and intended solely for use in the operation of international air services shall be exempt from all duties and charges, including customs duties and inspection fees imposed in the territory of the first Contracting Party even when those supplies are to be used on the parts of the journey performed over the territory of the Contracting Party in which they are taken on board. The materials referred to above shall be kept under customs supervision or control.

3. The regular airborne equipment, spare parts, aircraft stores, and supplies of fuels, oils (including hydraulic fluids), and lubricants retained on board the aircraft of either Contracting Party may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the customs authorities of that Contracting Party, who may require that those materials be placed under customs supervision and control upto such time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with customs regulations.

4. The exemptions provided for by this Article shall also be available in situations where the designated airline of one Contracting Party has entered into arrangements with other airline(s), which similarly enjoy such exemptions from the other Contracting Party, for loan or transfer in the territory of that other Contracting Party of the regular airborne equipment, spare parts, supplies of fuels, oils (including hydraulic fluids) and lubricants.

ARTICLE - 7

Representation and Personnel

1. For the purpose of the agreed services on the specified route, the designated airline of each Contracting Party shall have the right on reciprocal basis, to set up representation at the point of call on the specified route within the territory of the other Contracting Party. The staff of the representation referred to in this paragraph shall be subject to the laws and regulations in force in the country where such representation is located.

2. The staff members of the representation of the designated airline of each Contracting Party shall be nationals of either Contracting Party, unless otherwise agreed. The number of such staff shall be determined on reciprocal basis between the aeronautical authorities of both Contracting Parties.

3. Each Contracting Party shall to the maximum extent practicable ensure the safety of the representation and its staff members of the designated airline of the other Contracting Party, and safeguard, within its territory, the aircraft, stores and other properties of the said airline for use in the operation of agreed services.

4. Each Contracting Party shall extend assistance and facilities to the representation and its staff members of the designated airline of the other Contracting Party necessary for the efficient operation of the agreed services.

5. The crew members of the designated airline of either Contracting Party on flights into and out of the territory of the other Contracting Party shall be nationals of the Contracting Party designating such airline. If a designated airline of either Contracting Party desires to employ crew members of any other nationality on flights into and out of the territory of the other Contracting Party, prior approval shall be obtained from that other Contracting Party.

ARTICLE - 8

Transfer of Airline Earnings

Either Contracting Party undertakes to grant the designated airline of the other Contracting Party the right for free transfer, at the official rate of exchange, of the excess of receipt over expenditure achieved on its territory in connection with the carriage of passengers, baggage, cargo and mail by the said designated airline. The transfer of such funds shall be made in any convertible currency and in accordance with the foreign exchange regulations of the Contracting Party in the territory of which the revenue accrued. Whenever the payment system between the Contracting Parties is governed by a special agreement, that agreement shall apply.

ARTICLE - 9

Entry and Clearance Regulations

1. The laws and regulations of either Contracting Party relating to the admission into, stay in, departure from and flight over its territory of aircraft engaged in the operation of international air services, as well as laws and regulations relating to the admission into, stay in, and departure from its territory of passengers, crew, baggage, cargo and mail shall be applicable to the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party, its crew as well as the passengers, baggage, cargo and mail carried by such aircraft, while in the territory of the first Contracting Party.

2. Passengers in direct transit across the territory of either Contracting Party shall be subject to no more than very simplified control. Baggage and freight, if in direct transit, shall be exempt from customs duties, inspection fees and other duties and charges.

ARTICLE - 10

Capacity Provisions

1. Each Contracting Party shall, in keeping with the principle of equality and mutual benefit, take all appropriate action to ensure that there shall be reasonably equal opportunity and benefit for the designated airlines of both Contracting Parties in the operation of the agreed services on the specified routes.

2. For the operation of the agreed services on the specified routes, matters relating to frequency, type of aircraft as well as flight schedule, ground handling and other matters pertaining to the operation of the agreed services shall be agreed upon through consultation between the designated airlines of both Contracting Parties in the light of the principle of equality and mutual benefit, and on a reciprocal basis. The arrangements so agreed shall be subject to the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties. If the designated airlines of both Contracting Parties fail to reach agreement on frequency, type of aircraft and flight schedule, the aeronautical authorities of both Contracting Parties shall endeavour to settle the matter through consultations.

3. In the operation of the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interest of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the air services which the latter airline operates over the whole route or parts thereof. In case where the right to operate the agreed services is exercised unilaterally by the designated airline of either Contracting Party, that designated airline should make appropriate arrangement to the effect that the interests of the designated airline of the other Contracting Party could be reasonably taken care of.

4. The agreed services to be operated by the designated airlines of the Contracting Parties shall retain as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to meet the traffic requirements between the points in the territories of the two Contracting Parties. The right to embark on or disembark from such services international traffic destined for or coming from points in third countries shall be of a supplementary nature.

5. The designated airline of each Contracting Party may according to traffic requirements, apply for operation of additional flight(s) on the specified route. The application for such flight(s) shall be submitted to the aeronautical authorities of the other Contracting Party no later than 72 hours before the take-off of the said flight, and such flight(s) can be operated only after approval has been obtained.

ARTICLE - 11

Provision of Information and Statistics

1. The designated airline of either Contracting Party shall submit in writing to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, as long in advance as practicable, prior to the inauguration of the agreed services, information concerning the type of service, the type of aircraft to be used, the flight schedules and all other relevant information for its operation of the agreed services including such information as may be required to satisfy the aeronautical authorities that the requirements of this Agreement are being duly observed.

2. The aeronautical authorities of either Contracting Party shall furnish to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, at their request, statistical data as may be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided by the designated airline of the first Contracting Party on the specified route. Such data shall include all information required to determine the amount of traffic carried.

ARTICLE - 12

Establishment of Tariffs

1. The tariffs on any agreed services shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as standards of speed and accommodation) and the tariffs of other airlines for any part of the specified route. These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this Article.

2. The tariffs referred to in paragraph 1 of this Article shall be agreed upon between the designated airlines of both Contracting Parties, in consultation, when necessary and possible, with other airlines operating over the whole or part of that route. The tariffs so agreed shall be subject to the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties and shall be submitted to their respective aeronautical authorities at least 90 days prior to the proposed date of introduction of these tariffs. This period can be reduced in certain cases upon agreement between the said authorities.

3. If the designated airline cannot agree on any of these tariffs, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall try to determine the tariffs by agreement between themselves.

4. If the aeronautical authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under paragraph 2 of this Article or on the determination of any tariff under paragraph 3, the matter shall be referred to the Contracting Parties for settlement in accordance with the provisions of Article 16 of this Agreement.

5. Pending determination of a new tariff in accordance with the provision of this Article, the tariffs already in force shall prevail. Nevertheless, a tariff shall not be prolonged by virtue of this paragraph for more than 12 months after the date on which it otherwise would have expired.

ARTICLE - 13

Documents

1. The aircraft of the designated airline of either Contracting Party operating on the specified route shall bear its nationality and registration marks and carry on board the following certificates and documents:

- (a) certificate of registration;
- (b) certificate of airworthiness;
- (c) journey log sheet;
- (d) aircraft radio station licence;
- (e) licences or certificates for each member of the crew;
- (f) list of crew members;
- (g) list of passengers giving the places of departure and destination;
- (h) manifest of cargo and mail;
- (i) general declaration.

Each Contracting Party shall recognise as valid the certificates and licences mentioned above issued or rendered valid by the other Contracting Party.

2. The designated airline of either Contracting Party can operate the agreed services on the specified route(s) with aircraft leased from a third country provided that prior notice and relevant information regarding the leased aircraft shall be furnished to the aeronautical authorities of the other Contracting Party 30 days before the commencement of the proposed operation. However, consultation shall be conducted between the Contracting Parties at the request of the other Contracting Party on problems which may arise in connection with aircraft having nationality of a third country.

ARTICLE - 14

Search and Rescue

In case the aircraft of the designated airline of one Contracting Party is in distress or meets with an accident in the territory of the other Contracting Party, the other Contracting Party, subject to the international regulations or recommendations accepted by the two Contracting Parties, shall:

- (a) inform without delay the first Contracting Party of the accident,
- (b) immediately start search and rescue operations,
- (c) render assistance to the passengers and crew,
- (d) provide all security measures for the aircraft and its contents,
- (e) carry out investigation into the accident,
- (f) permit the representatives of the first Contracting Party access to the aircraft and participate in the investigation as observers,
- (g) give clearance to the aircraft and its contents as soon as they are no longer necessary for the investigation,
- (h) communicate in writing to the first Contracting Party its conclusions and the final report concerning the investigation.

ARTICLE - 15

Aviation Security

1. Each Contracting Party shall take all necessary precautions in its territory and in accordance with its national laws and regulations to prevent unlawful acts against civil aircraft of the other Contracting Party, their crews, passengers, baggage, cargo and mail.

2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.

3. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

ARTICLE - 16

Consultations

1. The Contracting Parties shall ensure the correct implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement in a spirit of close cooperation and mutual support. To this end, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time.

2. Either Contracting Party may request consultation with the other Contracting Party, which may be either oral or in writing, and which shall begin within a period of 60 days from the date of receipt of the request, unless both Contracting Parties jointly determine an extension of this period.

3. If any difference of opinion arises in respect of the interpretation or implementation of this Agreement, the designated airlines of both Contracting Parties shall, where appropriate, endeavour to settle it directly through consultation in a spirit of friendly cooperation and mutual understanding. If the airlines fail to reach a settlement, or if the matter at issue does not lie within their competence, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall endeavour to settle it through consultation. If a settlement still cannot be reached, the Contracting Parties shall endeavour to settle it by direct consultation or through diplomatic channels.

ARTICLE - 17

Amendment

If either of the Contracting Parties considers it desirable to amend any provision of this Agreement including the Schedule, it may request consultation with the other Contracting Party. This consultation, which may be between the aeronautical authorities or by correspondence, shall begin within a period of 60 days from the date of receipt of the request. Any amendments so negotiated shall not come into force until they have been confirmed by way of an exchange of notes through diplomatic channels.

ARTICLE - 18

Termination

Either Contracting Party may at any time notify the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement. If such notice is given, this Agreement shall terminate 12 months after the date of receipt by the other Contracting Party of the notice to terminate, unless the notice under reference is withdrawn before the expiry of that period. Notice shall be deemed to have been received 14 days after the date of the notice, or at the date of handing the notice to the diplomatic mission of the other Contracting Party in the territory of the first Contracting Party.

ARTICLE - 19

Titles

Titles are inserted in this Agreement at the head of each article for the purpose of reference and convenience and in no way to define, limit or describe the scope or intent of this Agreement.


ARTICLE - 20

Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the date of exchange of diplomatic notes confirming that the Contracting Parties have completed their respective legal procedures.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.


Done at Beijing, on this 22nd. day of December, 1988 in duplicate, each copy in the Chinese, Hindi and English languages, all texts being equally authentic.



(S.K. MISRA)

Secretary

Ministry of Civil Aviation & Tourism
FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDIA



(HU YIZHOU)

Director General

Civil Aviation Administration of China
FOR THE GOVERNMENT OF
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ROUTE SCHEDULE

- A. The airline designated by the Government of India shall be entitled to operate scheduled air services in both directions on the following routes:

Points in India

Beijing

- B. The airline designated by the Government of the People's Republic of China shall be entitled to operate scheduled air services in both directions on the following routes:

Points in China

Delhi

NOTE: Intermediate points and points beyond and the exercise of traffic rights to/from these points shall be agreed upon by the two aeronautical authorities of the Contracting Parties.